(घ) क्या चन्देरिया स्टेशन के गुड्स क्लर्कों और अखिल भारतीय कर्मशियल क्लर्क संघ ने उक्त रेलवे स्टेशन के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन दिया था; और

(ङ.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) 9,977

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और पाया गया कि चन्देरिया रेलवे स्टेशन की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

हिन्दी में स्टेशनों के लघु नाम

5426. **श्री सुधाकर पाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंग्रेजी के समान हिन्दी में रेलवे स्टेशनों के लघु नाम बनाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) रेलवे स्टेशनों के संक्षिप्त हिन्दी कूट नाम केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की सहायता से तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) चूंकि काम अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ।

विधि और न्याय मंत्रालय में आये हिन्दी के कागजातों का निपटान

5427. **श्री सुधाकर पाण्डे** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और कार्यालयों से कानूनी राय जानने के लिए हिन्दी में आये कागजात का अंग्रेजी अनुवाद भेजे जाने का आग्रह करता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन कागजात का अनुवाद राजभाषा (विधायी) आयोग करता है;

(ग) मंत्रालय ने कितनी फाइलों और कागजातों का अनुवाद राजभाषा (विधायी) आयोग से करवाया;

(घ) क्या ऐसे सभी मामलों को जिनमें कानूनी राय मांगी गई हो अंग्रेजी अनुवाद कराने के बजाय सीधे हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को निर्दिष्ट करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया और किस समय तक यथा-नुसार कार्यवाही की जायेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । विधि मंत्रालय का हिन्दी कार्य विधायी विभाग के अनुवाद अनुभाग में किया जाता है जो पूरे मंत्रालय का हिन्दी कार्य करने के लिए एक केन्द्रीकृत यूनिट है । इस अनुभाग में पर्याप्त संख्या में अनुवादक हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). जी, नहीं । विधि कार्य विभाग में कोई भी हिन्दी जानने वाले अधिकारी नहीं हैं जो इस स्थिति में हों कि विधि विषयक सलाह हिन्दी में दे सकें ।

Amount due to employees of India Electric works

5428. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state the amount due to the employees of erstwhile India Electric Works on account of employers' contribution, (ii) employees' contribution, and (iii) the interest thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (i) and (ii). The total dues payable on